न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 17/2025 बउनवानी मोहर सिंह गुर्जर **बनाम** तहसीलदार तलावडा
पुत्र शिवजीलाल गुर्जर निवासी टोटालाई पोस्ट बूचोलाई तहसील तलावडा

GCMS No-2025/83

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.3.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 16.01.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश कमांक 5928–60 दिनांक 8.4.2004 व तहसीलदार गंगापुर सिटी के आदेश संख्या 1025–30 दिनांक 25.4.2004 को उक्त आदेश की पालना में ग्राम टोटोलाई का बटा/मिन ख0न0 336/8,355/1,222/1,223/5,263/15 व 246/2, उक्त सभी ख0न0 का तत्समय का नकल नक्शा पटवार लटटा शीट का प्रमाणित प्रतिलिपि सहित कुल 5 बिन्दुओ की सूचना*" तहसीलदार तलावडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः आर.टी.आई/25/62 दिनांक 20.3.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2025 मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना तहसीलदार तलावडा के पत्रांक 43 दिनांक 4.3.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 2,4,5 की सूचना कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.01.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना तहसीलदार तलावडा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 2,4,5, की सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण उक्त बिन्दुओ की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:10:00 IST
Reason: SelfAttested